न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–64/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. भौरेलाल पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटक्या उर्फ सुटीला,
2. खेमचन्द पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटक्या उर्फ सुटीला,
3. अमीचन्द पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटक्या उर्फ सुटीला,
4. लक्ष्मण पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटक्या उर्फ सुटीला, जातियान हरीजन निवासीयान ग्राम बेलाका तहसील अलवर जिला अलवर ।

..... अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर अलवर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर अलवर ।

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
1. श्री मनमीतसिंह, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 07.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने तहत न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि सम्वत् 2020 के अनुसार आराजी साबिक ख0 नं0 127 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 135 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं सम्वत् 2051 के अनुसार साबिक ख0 नं0 135 के हाल ख0 नं0 196 रकबा 0.29 ऐयर वाके ग्राम बेलाका पर वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण के पिता का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त की बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत्

2009 पर अंकन है । विवादित आराजी पर कब्जा लगभग 10–12 साल पूर्व से हैं । इसलिए कानूनन स्वतः ही अपीलांट खातेदार हो गये । मौके पर वादीगण का कब्जा है एवं काबिज काश्त हैं । अतः विवादित आराजी की बाबत गत व हाल सैटलमेन्ट व कायम शुदा जमाबन्दी राजस्व रेकार्ड में जहां कहीं भी गैर खातेदार सिवायचक लगानी, राज0 जनोपयोगी प्रयोनार्थ आरक्षित भूमि दर्ज हैं, को कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में इन्द्राज किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत किया । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर लोक अदालत में दि0 07.06.2017 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 07.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित निर्णय दि0 07.06.2017 का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि सम्वत् 2020 के अनुसार आराजी साबिक ख0 नं0 127 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 135 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा एवं सम्वत् 2051 के अनुसार साबिक ख0 नं0 135 के हाल ख0 नं0 196 रकबा 0.29 ऐयर पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वादीगण/अपीलांटान के पिता का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त की बाबत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 पर अंकन है । विवादित आराजी पर कब्जा लगभग 50 साल पूर्व से है । इसलिए कानूनन स्वतः ही खातेदार हैं । राजस्व रेकार्ड में लम्बे समय से कब्जा दर्ज है तथा मौके पर वादीगण/अपीलाटान का कब्जा व काबिज काश्त है लेकिन ताहाल राजस्व रेकार्ड में गलत इन्द्राज कायम है जिसे दुरूस्ती करना आवश्यक है ।

बहस में यह भी निवेदन किया कि तहत न्यायालय ने दावे, जवाब दावे के आधार पर न तो साक्ष्य ली और न ही रेकार्ड का विवेचन किया तथा न ही तनकीयात कायम की ।

बहस में आगे कहा कि तहत न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ना तो मनन किया और ना ही उपलब्ध तथ्यों व साक्ष्य पर गौर किया बल्कि सरकार हित देखते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट जाति से हरिजन है, गरीब हैं तथा जिनके पास जीवनयापन का और कोई साधन नहीं हैं । अपीलांटान के पिताजी के जीवनकाल में मौके पर काबिज रह कर कार्य काश्त करते आये और उनके मरने के बाद अपीलांट बतौर वारिस काबिज चले आ रहे हैं तथा मौके पर कार्य काश्त करते चले आ रहे हैं जबकि तहत न्यायालय द्धारा मनमाने तरीके से केवल सरकार का नाम दर्ज होने के कारण सारी विधिक प्रक्रियाओं को ताख पर रखते हुए तथा उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य के विपरीत, विधि विरूद्ध, खिलाफ मौका, कब्जा व वस्तुस्थिति के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय पारित

किया है तथा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया जो जो निरस्त योग्य है और अपील अपीलांट स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

जवाब बहस में राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 का कथन है कि वर्तमान रेकार्ड अनुसार हाल ख0 नं0 196 रकबा 0.29 है0 के खाता नं0 1 में बतौर राज. जनोपयोगी प्रयो. आरक्षित भूमि (सिवायचक) दर्ज रेकार्ड होकर राज0 सरकार के कब्जे में है । खसरा गिरदावरी में अंकन से खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । विवादित आराजी वर्तमान जमाबन्दी व मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2051 व उससे पूर्व के राजस्व रेकार्ड में भी सिवायचक दर्ज है । मौके पर कब्जा वादी/अपीलांट का नहीं होकर सरकार का है । इसलिए तहत न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है, वह उचित है । अतः अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 का अवलोकन किया ।

तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश कैम्प कोर्ट में पारित आदेश है जिसमें मौके पर ही तहसीलदार से जवाब प्राप्त करके बिना तनकीयात कायम कराये तथा बिना साक्ष्य प्राप्त किये तथा पेश साबिक रेकार्ड की बिना व्याख्या किये तहत न्यायालय द्धारा निर्णय पारित किया है । न्यायालय का कानूनी मत है कि तहत न्यायालय को अपलांट/वादी को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए । सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों की पालना किये बिना पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के भी खिलाफ है । अपीलांट अभिभाषक ने अपील बहस में उक्त सभी तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया ।

उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दि0 07.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी/अपीलांट के वाद तथा पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर तनकीयात कायम करके, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा साबिक रेकार्ड का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर